क्रमांक 4/8749 /22/ वि–10/ग्रायांसे/105 कौशल/11 भोपाल दिनांक 4 /06/11

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त) मध्यप्रदेश
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त), जिला पंचायत, म0प्र0
3. कार्यपालन यंत्री (समस्त), ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, म0प्र0

विषय :– **तालाबों के गहरीकरण, गाद हटाना व जीर्णोद्धार कार्यों के संबंध में।**

संदर्भ :– 1. विभाग का तकनीकी परिपत्र क्रमांक 6707/505/तक/वि–10/ग्रायांसे/05 भोपाल दिनांक 08.12.05
2. विभाग का परिपत्र क. 15445 भोपाल दिनांक 06.10.07
3. विभाग का पत्र क्र. 6239 भोपाल दिनॉक 14 08.08

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा निर्देश जारी किये गये है। क. 1 के द्वारा नवीन तालाब एवं पूर्व से निर्मित तालाबों की मरम्मत/सुदृढीकरण/गहरीकरण, गाद निकालने व जीर्णोद्धार कार्यों की आयोजना व क्रियान्वयन के विषय में विस्तृत निर्देश जारी किये गये है। उक्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुये निम्नानुसार संशोधित निर्देश जारी किये जाते हैं।

तालाबों के गहरीकरण, गाद निकालने व जीर्णोद्धार के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति नवीन कार्य के रूप में दी जावे अथवा उसे मरम्मत कार्य माना जावे, इस संबंध में संभागीय बैठकों में भ्रम की स्थिति पाई गई। तालाब के कार्यों के वर्गीकरण/श्रेणी निर्धारण के संबंध में निम्नानुसार स्थिति पुनः स्पष्ट की जाती है :–

1. <u>नवीन निर्माण कार्य</u> :– इस श्रेणी के अंतर्गत तालाबों के निम्न कार्य नवीन कार्य के अंतर्गत लिये जा सकते है :–

(i) पूर्ण रूप से नवीन तालाब (Earthen Dam) का निर्माण।
(ii) पूर्व निर्मित तालाब में नवीन घाट का निर्माण।
(iii) पूर्व निर्मित तालाब में पिचिंग एवं वेस्टवियर के नवीन कार्य।
(iv) पूर्व निर्मित तालाब की जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तालाब की गाद हटाना, गहरीकरण एवं मेढ़ के मूल स्वरूप (लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई) में परिवर्तन/वृद्धि।
(v) पक्के तालाब (Masonry Dam) का निर्माण।

1.1 सामान्यतः ग्राम पंचायतों, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अथवा जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित तालाबों, जिनमें गाद जमा होने के कारण पानी का भराव बिल्कुल नहीं हो रहा है अथवा अत्याधिक प्राचीन ऐसे बड़े तालाब जो अत्यंत जीर्णशीर्ण होकर अनुपयोगी हो गये हैं, में जल ग्रहण क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से डेमसेक्सन के मूल स्वरूप (लंबाई, चौडाई, ऊँचाई) में, तकनीकी दृष्टि से परिवर्तन आवश्यक होने पर एवं गाद (सिल्ट) आदि निकालने के कार्य, नवीन निर्माण कार्य के रूप में वर्गीकृत होंगे, जिनसे तालाबों में पुनः जल भराव होकर जनोपयोगी हो सके।

1.2 **पुराने तालाबों के गहरीकरण, (नवीन कार्य) हेतु प्रस्ताव को तैयार करने के लिए निम्नानुसार सर्वेक्षण करना आवश्यक होगा :–**

(i) वर्तमान Bund का एल.सेक्शन जिसमें भूमि का लेवल भी दर्शित हो।

(ii) प्रत्येक 5 मीटर और जहां सेक्शन में अचानक बदलाव आया हो उन स्थानों पर बंधान का क्रास–सेक्शन लेना।

(iii) वर्तमान जल भराव क्षेत्र में 30–30 मी. दूरी पर लेवल लें। यदि इस क्षेत्र में पानी भरा हो तो बेसिन के भीतर लेवल सुनिश्चित करने के लिए उन स्थानों पर पानी की गहराई भी ली जावे। इन लिये गये लेविलों की सहायता से जल भराव क्षेत्र का कन्टूर नक्शा तैयार करें।

(iv) नई तालाब योजनाओं के समान ही जल ग्रहण क्षेत्र का भी सर्वेक्षण करके ही गहरीकरण का निर्णय ले।

(v) बंधान के सुधार हेतु जिस क्षेत्र से मिट्टी ली जानी है उन क्षेत्रों को बॉरों क्षेत्र के रूप में चिन्हांकित कर ट्रॉयल पिट लें एवं मिट्टी का प्रयोशाला परीक्षण करावें।

(vi) बरसात के दौरान तालाब में पूर्व–वर्षो का जल भराव संबंधी जानकारी के बारे में पूछताछ करनीचाहिए। यह अधिक भण्डारण के नियोजन हेतु एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शी पहलू होगा।

(vii) **जीर्णोद्धार/गहरीकरण कार्य कराने का समय :–**

ऐसे तालाब जिनका गहरीकरण/जीर्णोद्धार कराना हो उसका कार्य मार्च/अप्रैल से जून माह के बीच ही कराया जाये। यदि तालाब में पानी खाली कराने की आवश्यकता हो तो इसकी अग्रिम योजना बनाकर पानी का उपयोग समीपी खेतों में रबी सिंचाई के लिये कराया जा सकता है। गहरीकरण के कारण अन्य वैकल्पिक जल स्त्रोत सुनिश्चित किये जाये ताकि समीपी लोगों की निस्तारी जरूरतों में बाधा न पड़े। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व, स्थल की फोटोग्राफी/वीडियो ग्राफी अनिवार्य रूप से करायी जावे।

1.3 **जल भराव क्षमता वर्धन हेतु बंधान की ऊँचाई बढ़ाने केसंबंध मे निम्न निर्देश भी दिये जाते है :–**

इस हेतु अन्य प्रकरणों मे सिंचित क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में तालाब की भण्डारण क्षमता देखी जानी चाहिए। उचित लागत में जल भण्डारण क्षमतावर्धन, बेहतर स्पिल–वे व्यवस्था एवं बांध की ऊँचाई बढ़ाने की संभावना हेतु तालाब का जल ग्रहण क्षेत्र व औसत वर्षा का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। वर्तमान आउटलेट व्यवस्था की जानकारी भी महत्वपूर्ण है। यदि ग्रामवासी बंधान काटकर सिंचाई हेतु पानी लेते हैं तो यह व्यवस्था एक स्थायी आउटलेट बनाकर तुरन्त रोकनी चाहिए। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बंधान की रूपांकित ऊँचाई तक जीर्णोद्धार का कार्य वर्तमान सेक्शन को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए।

1.4 **ऊपर वर्णित निर्देशों के अतिरिक्त तालाब गहरीकरण/गाद हटाने के संबंध में निम्न सामान्य निर्देश भी दिये जाते है :–**

(i) किसी भी तालाब में सामान्यतः 3 वर्ष पश्चात् पुनः गहरीकरण/गाद हटाने का कार्य किया जा सकता है।

(ii) मिट्टी के तालाब निर्माण कार्यो का क्रियान्वयन बोधी द्वारा जारी तकनीकी परिपत्रों मे वर्णित प्रावधानों के अनुरूप किया जावें।

(iii) तालाब गहरीकरण के प्रकरणों में इसी तालाब में पूर्व के वर्षो में कराये गये कार्यो की जानकारी यथा–स्वीकृत वर्ष, योजना का नाम, कार्य की लागत, निर्माण ऐजेन्सी तथा कराये गये कार्य का संक्षिप्त विवरण एवं संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की निरीक्षण टीप, दिनॉक सहित हस्ताक्षर के, रखी जावें।

कार्य किया जावें :–

तालाब के गहरीकरण/जीर्णोद्धार की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण तकनीकी पहलुओं का ध्यान रखा जाना आवश्यक है, जिससे कार्य के वांछित लाभ मिलें यहाँ पर यह उल्लेखित किया जाना उचित होगा कि तकनीकी पहलुओं संबंधी सावधानियाँ न बरतने पर तालाब के लक्षित उद्देश्यों पर विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है, इस कार्य में निम्नानुसार सावधानियां विशेष रूप से रखी जानी चाहिए :

(i) गहरीकरण के कार्य की दूरी, बांध के अपस्ट्रीम टो से तालाब में एकत्रित जल गहराई की दस गुना से कम नहीं होनी चाहिये। यह सीमा अपस्ट्रीम व डाउनस्ट्रीम दोनों कार्यो के लिये लागू होगी।

(ii) गहरीकरण के दौरान खुदाई की गहराई इतनी न हो कि वह जल भराव क्षेत्र के नीचे की अपारगम्य परत (Inpervious Layer) को भेद दे।

(iii) खुदाई की गहराई का लेवल किसी भी परिस्थिति में बांध की नीव के तल के लेवल के नीचे न हो।

उक्त सावधानियों में दर्शाये गये तकनीकी पहलुओं को संलग्न क्रास सेक्शन से समझा जा सकता है। **(परिशिष्ट–"अ")**

जल भराव क्षेत्र में एकत्रित गाद की गणना हेतु प्रत्येक 30 मीटर की दूरी पर ग्रिड क्रॉस–सेक्शन लेवल लिये जावें एवं ग्राफ शीट पर एल सेक्शन अंकित कर मूल ग्राउण्ड लेवल से तुलना की जावें। कम से कम 50 प्रतिशत लेवल का सत्यापन, सहायक यंत्री, ग्रा.यां. सेवा द्वारा किया जावें तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र, एल सेक्शन पर हस्ताक्षरित किया जावें। तालाब गहरीकरण का कार्य, सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात ही प्रारंभ किया जा सकेगा।

1.6 पूर्व उल्लेख अनुसार तालाबों के गहरीकरण (गाद निकालने) व जीर्णोद्धार के कार्यों, जिसे इस परिपत्र द्वारा नवीन कार्य मान्य किया जा रहा है, के संपादन के लिये निम्न प्रक्रिया अपनाई जावें :–

(i) तकनीकी स्वीकृति के प्रकरण में तालाब निर्माण के वर्ष की प्रमाणिक जानकारी तथा तालाब की स्थिति दर्शाने के लिये सहायक यंत्री स्तर के अधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य होगा एवं वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाले फोटोग्राफ्स प्रकरण में लगाये जावे।

(ii) जिस तालाब का गहरीकरण या गाद निकालने का कार्य किया जाना है, आगे वर्णित निर्देशानुसार उसके बेसिन तथा बंड के लेविल्स लिये जाकर तकनीकी स्वीकृति के प्रकरण में संलग्न किये जावेंगे। ऐसे तालाब की तकनीकी स्वीकृति नवीन प्रकरण के रूप में कार्यपालन यंत्री स्तर के अधिकारी द्वारा तथा प्रशासकीय स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा जारी की जावेगी, चाहे उसकी लागत रूपये 5 लाख से कम ही क्यों न हो।

(iii) तालाब के Bund एवं Submergence के Level की Inventory संधारित करने की दृष्टि से तालाब के Bund से हटकर अन्य स्थाई स्ट्रक्चर पर बेंच मार्क दर्ज हो तथा इसे एस्टीमेट में भी दर्शाया जावे।

(iv) कार्य प्रारंभ करने के पूर्व की स्थिति एवं पूर्णता पश्चात् निर्माण कार्य (बंड के क्रास सेक्शन, बेसिन आदि) के फोटोग्राफ लिये जाकर, एक प्रति निर्माण कार्य की नस्ती में, एक प्रति पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ प्रशासकीय विभाग को प्रेषित की जावे।

2. **मरम्मत कार्य** :– इस श्रेणी के अंतर्गत पूर्व से, निर्मित ऐसे तालाब जिनमें पानी का भराव हो रहा है व उपयोग में लाये जा रहें हैं, में पार (बंड) की मिट्टी का कार्य (कटाव होने अथवा क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में) करते हुए तालाब के पार (बंड) को उसके मूल स्वरूप को पुनः निर्मित करने, पूर्व से निर्मित पिचिंग, वेस्टवियर अथवा घाट की मरम्मत आदि के कार्य कराये जा सकते हैं।

3. **क्रियान्वयन व गुणवत्ता** :–

(i) क्रियान्वयन एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि, कार्य का क्रियान्वयन निर्धारित डिजाईन तथा मापदण्डों के अनुरूप पूर्ण किया जाये और तकनीकी रूप से गुणवत्तापूर्ण हो। कार्य की गुणवत्ता के संदर्भ मे किसी भी स्थिति में कोई समझौता न किया जाये। अधूरे कार्य को किसी भी स्थिति में पूर्ण मानकर समाप्त न किया जायें।

(ii) कार्यो के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने, निगरानी, मूल्यांकन, कार्य की माप, मजदूरी का भुगतान, रिकार्ड एवं लेखा संधारण तथा अन्य अभिलेखों के संधारण के संबंध में मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत समय–समय पर जारी निर्देशों के प्रावधान यथावत लागू होगें। हितग्राही कृषक भी उसके लिए, क्रियान्वित किये जा रहे कार्य की निगरानी कर सकेगा।

(iii) कार्य के पूर्ण होने पर हितग्राही समूह से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिस पर सरपंच तथा संबंधित उपयंत्री कार्य की पूर्णता प्रमाणित कर हस्ताक्षर करेगें। तदोपरांत यह पूर्णता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अपने रिकार्ड में संधारित करेगी। कार्य के निर्माण स्थल पर भूमि स्वामी हितग्राही/उपयोगकर्ता दल के सदस्यों के नाम, कार्य की लागत अंकित करते हुए एक बोर्ड भी लगाया जायेगा जिस पर कार्य का नाम, कार्य पर व्यय राशि तथा कार्य की पूर्णता दिनॉक पेंट से अंकित होगी।

(iv) संपादित कार्य का विवरण पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड में भी अनिवार्यतः दर्ज किय जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे। अगर किसी भी मुद्दे पर परामर्श क आवश्यकता हो तो, अधीक्षण यंत्री (तकनीकी), विकास आयुक्त कार्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त किय जावे।

(आर. परशुराम)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ0 कमॉक 4673/22/वि–10/ग्रायांसे/105 कौशल/11 भोपाल दिनांक 4/06/11

प्रतिलिपि ::

1. आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, नर्मदा भवन, भोपाल।
3. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/एन.आर.ई.जी.एस. भोपाल।
4. संभागायुक्त (समस्त) म0प्र0।
5. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मण्डल (समस्त) ।
6. शाखा प्रभारी (समस्त) विकास आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।

4-6-11

(विकास अवस्थी)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

परिशिष्ट अ

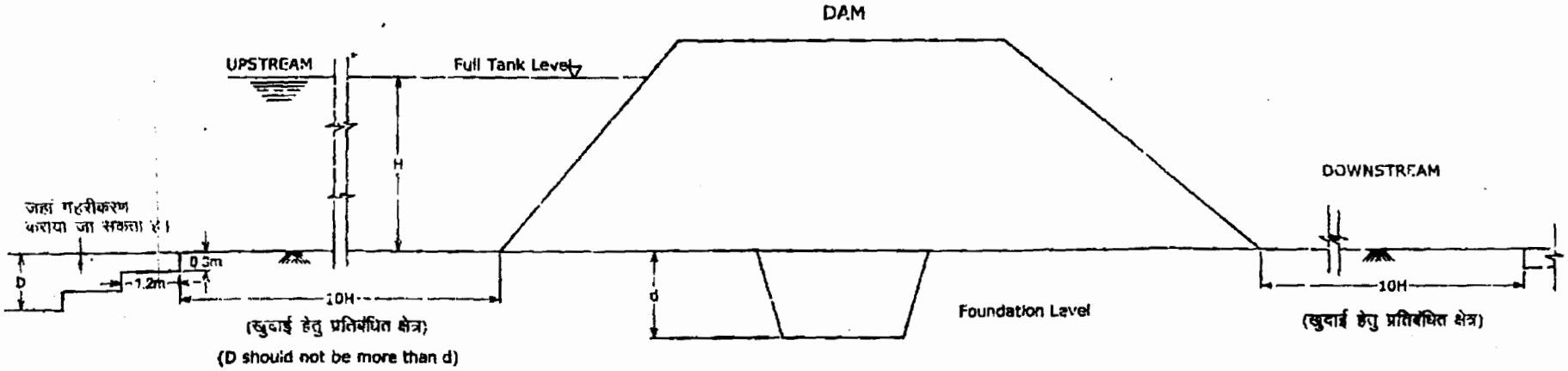
DAM
UPSTREAM
Full Tank Level
H
DOWNSTREAM
जहां गहरीकरण
कराया जा सकता है।
0.3m
D
1.2m
10H
d
Foundation Level
10H
(खुदाई हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र)
(D should not be more than d)
(खुदाई हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र)